फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 22.03.2026

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी/जालसाजी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0215/2025 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01. जगदीश पुत्र नत्थूलाल निवासी नगला कलार थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- वादी श्री रामकुमार उर्फ लल्लू उर्फ लाला पुत्र राजाराम उर्फ शिवसहाय निवासी नगला कलार हाल निवासी शेखपुर रूस्तमपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना मऊदरवाजा पर तहरीर दी कि अभियुक्तों द्वारा वादी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को खडा कर वादी के हिस्से की भूमि को धोखाधड़ी कर कूटरचित बैनामा तैयार करा लेने व वादी की हिस्से की भूमि को बेचकर आर्थिक लाभ लिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0215/2025

धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 बनाम जगदीश पुत्र नत्थूलाल निवासी नगला कलार थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ आदि 07 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अभियुक्त जगदीश उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्त जगदीश उपरोक्त ने पूछताछ करने पर पैसो के लालच में बैनामा के दौरान झूठी गवाही देने के सम्बन्ध में बताते हुए शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त जगदीश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 0215/2025 धारा 419/420/467/468/471भा0द0वि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 281/2006 धारा 302 भा0द0वि0 थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0 755/2020 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
4. मु0अ0सं0 1746/2009 धारा 198 क(2) ZLR (भूमि विवाद) कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अजब सिंह
2. उ0नि0 श्री यतेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी बजरिया
3. का0 करतार सिंह
4. का0 सुमित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- कोतवाली कायमगंज

दिनांक - 22.03.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करके फर्जी बोगस फर्म बनाकर जीएसटी का अपवंचन करने वाले 03 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 71/2026 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2),352,351(3) बी0एन0एस0 तथा मु0अ0सं0 72/2026 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 से संबन्धित अभियुक्तगण 01. सैय्यद अरवाज अली 02. अमन खान 03. फैसल खान को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

01. सैय्यद अरवाज अली उर्फ सद्दाम पुत्र आफाक अली निवासी मो0 कोट मऊरशीदाबाद कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़

02. अमन खान पुत्र शकील खान निवासी करीमनगर रायपुर खास कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़

03. फैसल खान पुत्र अकील खान निवासी मऊरशीदाबाद जारियान कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़

घटना का विवरण :- वादी ताहर सिंह पुत्र अन्तराम निवासी ग्राम करनपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि अभियुक्तों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, धोखाधडी करके फर्जी बोगस फर्म बनाकर जीएसटी का अपवंचन किया जा रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 71/2026 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2),352,351(3) बी0एन0एस0 तथा मु0अ0सं0 072/2026 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 बनाम सैय्यद अरवाज अली उर्फ सद्दाम पुत्र आफाक अली आदि 03 पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त 01. सैय्यद अरवाज अली उर्फ सद्दाम पुत्र आफाक अली निवासी मो0 कोट मऊरशीदाबाद कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ 02. अमन खान पुत्र शकील खान निवासी करीमनगर रायपुर खास कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ 03. फैसल खान पुत्र अकील खान निवासी मऊरशीदाबाद जारियान कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग, लोगों की जमीन का फर्जी तरीके से किरायानामा बनवाते थे और उस जमीन पर फर्जी कागज लगाकर तम्बाकू की फर्जी फर्म बनाते थे और व्यापारियों को लाभ पहुँचाने के लिए व टैक्स की चोरी करने के लिए अपनी उन्ही फर्जी फर्म के नाम से फर्जी बिल भी काटते थे तथा साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट वाहनों से उक्त तम्बाकू को उनके गंतव्य तक पहुँचाते थे।

बरामदगी का विवरण:-

01. छायाप्रतियां रजिस्ट्रेशन फर्म्स प्रपत्र
02. विभिन्न कम्पनियमों के ईवे बिल्स
03. INVOICE BILLS AK TRADERS
04. INVOICE BILLS AMAN TRADING COMPANY
05. चार मोबाइल फोन

अभियुक्त सैय्यद अरबाज अली उर्फ सद्दाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01.मु0अ0सं0 148/22 धारा 323/504/506 आईपीसी थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़
02.मु0अ0सं0 422/23 धारा 120बी/420/467/468/471 आईपीसी थाना कायमगंज फतेहगढ़
03. मु0अ0सं0 71/2026 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2),352,351(3) बी0एन0एस0 थाना कायमगंज फतेहगढ़ 04.मु0अ0सं0 72/2026 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 थाना कायमगंज फतेहगढ़

05.मु0अ0सं0 329/19 धारा 302/394/411 आईपीसी थाना बिठूर जनपद – पश्चिमि (कमिश्नरेट कानपुर नगर)

अभियुक्त अमन खान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 71/2026 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2),352,351(3) बी0एन0एस0 थाना कायमगंज फतेहगढ़ 02.मु0अ0सं0 72/2026 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 थाना कायमगंज फतेहगढ़

अभियुक्त फैसल खान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 71/2026 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2),352,351(3) बी0एन0एस0 थाना कायमगंज फतेहगढ़

02.मु0अ0सं0 72/2026 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 थाना कायमगंज फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री मदन मोहन चतुर्वेदी
2. उ0नि0 श्री बलवीर सिंह
3. का0 विनीत कुमार
4. का0 बबलू कुमार
5. का0 धर्मेन्द्र कुमार
6. का0 अंकित गंगवार

मीडिया सेल फतेहगढ़।